an>

Title: Need to overhaul the Public Distribution System for the benefit of the poor.

श्री परेश रावल (अहमदाबाद-पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा नागरिकों को सस्ते अनाज की दुकानों से सस्ते दामों पर अनाज एवं अन्य आवश्यक चीजें दी जाती हैं। प्रशासन द्वारा यह प्रक्रिया पूरे साल हर महीने चलती है। इस वितरण प्रक्रिया की कोई फिक्स तारीख या समय नहीं होता। महीने में कभी भी अनाज दिया जाता है। इसका लाभ ज्यादातर निम्न, मध्यम वर्ग और गरीब लोग लेते हैं। इसके लिए उन्हें अपने कामकाज से छुट्टी लेनी पड़ती है, यानी आर्थिक नुकसान भी होता है। कभी -कभी उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मंत्रालय से मांग है कि सरकार के पास पूरे वर्ष भर के अनाज का स्टाक जमा होता है, तो लाभार्थियों को एक साथ तीन महीने या छः महीने का अनाज दिया जाना चाहिए। इससे पूरी प्रक्रिया सरल हो जायेगी। इसके साथ-साथ नागरिकों को हर महीने राशन लेने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अनाज परिवहन के लिए भी हर महीने कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। अथॉरिटी को इसका हिसाब रखने में भी आसानी रहेगी। जो अनाज सड़ जाता है या अन्य जीव खा जाते हैं, उसे भी बचाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को अनाज रखने के लिए किराये पर गोदाम लेने पड़ते हैं। यह खर्च बचाया जा सकता है, क्योंकि यह रकम करोड़ों रुपये में होती है। धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Chandra Prakash Joshi, Shri Sharad Tripathi, Shrimati Rekha Verma, Shri Ram Prasad Sarma, Dr. P. Kirit Solanki, Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Paresh Rawal.